

01.10.21

पत्रावली पेश। वकील वारी उपस्थित नहीं।

वादीया एवं वकील वारीया को खुले

न्यायालय में काट-काट जोर-जोर से

आवाजे लगाई गई लेकिन फिर भी

न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः यह

कार पत्र अट्टम हाजरी एवं हाट्टम फेंसी

में इसी स्तर पर कारिज किया जाता

है। पत्रावली नम्बर से उम होकर कारिज

हफ्तल हो।

(अभिषेक)  
उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना